



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3456/SEIAA/2022

Date: 17/3/22

प्रति,

श्री मेंदु मेडा,

आत्मज श्री नाथू मेडा

निवासी ग्राम सेमलीपुरा,

तहसील व जिला धार (म.प्र.) -454001

विषय:- प्रकरण क्र. 8847/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री मेंदु मेडा, आत्मज श्री नाथू मेडा निवासी ग्राम सेमलीपुरा, तहसील व जिला धार (म.प्र.) -454001 द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.214 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 224 पैकीए ग्राम - नौगांव बुजुर्ग, तहसील व जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण सिया की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 एवं SEAC समिति द्वारा 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 706 वी बैठक दिनांक 16.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खदान के दोनों तरफ (85 मीटर एवं 37 मीटर) पवनचक्की होना परिलक्षित है। अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में पवनचक्की से प्रतिबंधित दूरी (300 मीटर) के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 531वी बैठक दिनांक 06.12.2021 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए विस्तृत विचार विमर्श एवं सर्व सम्मति से पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3457/SEIAA/2022

दिनांक - 17/3/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - धार (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - धार (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - धार (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी